

मध्योचल विद्युत वितरण निगम लि०

अल्पकालीन निविदा सूचना

विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच के अन्तर्गत विभागीय कार्यों के सम्पादन के लिए ट्रेवलिंग एजेन्सियों/फर्मों एवं वाहन स्वामियों से निम्न विवरण के अनुसार डीजल चालित हल्का वाहन/जीप/बोलेरो वाहन (चालक सहित) एक वर्क की अवधि के लिए किराये पर लेने हेतु मुहरबन्द निविदाएं खुलने की तिथि को 13:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन 15:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष सार्वजनिक रूप से खोली जायेगी। निविदा दो भागों में प्राप्त की जायेगी। निविदा के प्रथम भाग में तकनीकी, वाणिज्यिक, अनुभव की सत्यापित छाया प्रति, वाहन का वाणिज्यिक पंजीकरण प्रपत्र, बीमा प्रपत्र, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, टिन नं०, एवं सर्विस टैक्स पंजीकरण प्रपत्र एवं निम्नांकित धरोहर धनराशि, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/टी०डी०आर०/बैंक ड्राफ्ट आदि के रूप में जो अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच के नाम से बन्धक होगी, संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा के द्वितीय भाग में दरें, वैधता व शर्तें आदि होंगी। धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा का द्वितीय भाग नहीं खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र रू० 230/- अप्रतिदेय, कर सहित नगद जमा करके मण्डल कार्यालय से निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। अधोहस्ताक्षरी को एक अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। प्रश्नगत निविदा मध्योचल विद्युत वितरण निगम लि० की वेबसाइट www.mvvnli.in पर भी उपलब्ध है।

1-अल्पकालीन निविदा सं०-01/वि०वि०मं०(ब०)/2017-18: अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच हेतु एक अद्द हल्का डीजल चालित वाहन चालक सहित एक वर्क की अवधि हेतु किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य। धरोहर धनराशि रू० 4000.00 खुलने की तिथि 27.06.2017

2-अल्पकालीन निविदा सं०-02/वि०वि०मं०(ब०)/2017-18: अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बहराइच हेतु विभागीय कार्यों के सम्पादन के लिए एक अद्द डीजल चालित वाहन (जीप/बोलेरो/मार्शल) चालक सहित एक वर्क की अवधि हेतु किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य। धरोहर धनराशि रू० 4000.00 खुलने की तिथि 27.06.2017

3-अल्पकालीन निविदा सं०-03/वि०वि०मं०(ब०)/2017-18: विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बहराइच के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-द्वितीय, बहराइच हेतु विभागीय कार्यों के सम्पादन के लिए एक अद्द डीजल चालित वाहन (जीप/बोलेरो/मार्शल) चालक सहित एक वर्क की अवधि हेतु किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य। धरोहर धनराशि रू० 4000.00 खुलने की तिथि 27.06.2017।

4-अल्पकालीन निविदा सं०-04/वि०वि०मं०(ब०)/2017-18: विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बहराइच के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-चतुर्थ, पयागपुर हेतु विभागीय कार्यों के सम्पादन के लिए एक अद्द डीजल चालित वाहन (जीप/बोलेरो/मार्शल) चालक सहित एक वर्क की अवधि हेतु किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य। धरोहर धनराशि रू० 4000.00 खुलने की तिथि 28.06.2017

5-अल्पकालीन निविदा सं०-05/वि०वि०मं०(ब०)/2017-18: विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बहराइच के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम, नानपारा हेतु विभागीय कार्यों के सम्पादन के लिए एक अद्द डीजल चालित वाहन (जीप/बोलेरो/मार्शल) चालक सहित एक वर्क की अवधि हेतु किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य। धरोहर धनराशि रू० 4000.00 खुलने की तिथि 28.06.2017

6-अल्पकालीन निविदा सं०-06/वि०वि०मं०(ब०)/2017-18: विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बहराइच के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-द्वितीय, मटेरा हेतु विभागीय कार्यों के सम्पादन के लिए एक अद्द डीजल चालित वाहन (जीप/बोलेरो/मार्शल) चालक सहित एक वर्क की अवधि हेतु किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य। धरोहर धनराशि रू० 4000.00 खुलने की तिथि 28.06.2017

7-अल्पकालीन निविदा सं०-07/वि०वि०मं०(ब०)/2017-18: विद्युत वितरण खण्ड, श्रावस्ती के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रावस्ती हेतु विभागीय कार्यों के सम्पादन के लिए एक अद्द डीजल चालित वाहन (जीप/बोलेरो/मार्शल) चालक सहित एक वर्क की अवधि हेतु किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य। धरोहर धनराशि रू० 4000.00 खुलने की तिथि 29.06.2017

8-अल्पकालीन निविदा सं०-08/वि०वि०मं०(ब०)/2017-18: विद्युत वितरण खण्ड, श्रावस्ती के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम, भिनगा हेतु विभागीय कार्यों के सम्पादन के लिए एक अद्द डीजल चालित वाहन (जीप/बोलेरो/मार्शल) चालक सहित एक वर्क की अवधि हेतु किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य खुलने की तिथि 29.06.17

9-अल्पकालीन निविदा सं०-09/वि०वि०मं०(ब०)/2017-18: विद्युत वितरण खण्ड-श्रावस्ती के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-द्वितीय, इकौना हेतु विभागीय कार्यों के सम्पादन के लिए एक अद्द डीजल चालित वाहन (जीप/बोलेरो/मार्शल) चालक सहित एक वर्क की अवधि हेतु किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य खुलने की तिथि 29.06.17

नियम एवं ँर्तः-

1-वाहन दिनांक 31-03-2014 के पूर्व का पंजीकृत नहीं होना चाहिए। 2-निविदादाता द्वारा अंकित दरें (सभी करों को अलग से दर्शाते हुये) प्रति माह में वाहन का किराया, चालक एवं उसका वेतन तथा अनुरक्षण सम्मिलित करना अनिवार्य है। 3-वाहन का पंजीकरण एवं परिवहन सम्बन्धी समस्त विधिक औपचारिकतायें पूर्ण एवं वैध होना अनिवार्य है। 4-वाहन एक वर्ग की अवधि हेतु लिया जाना है, किन्तु उसे किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये हटाया जा सकता है। 5-डीजल वाहन में मात्र डीजल विभाग द्वारा भराया जायेगा। 6-हल्का डीजल वाहन में डीजल की खपत का औसत 16 कि०मी० प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए। डीजल जीप हेतु 12 कि०मी० प्रति लीटर के अनुसार डीजल विभाग द्वारा देय होगा। 7-वाहन में तकनीकी खराबी एवं सर्विसिंग की स्थिति में निविदादाता को समकक्ष श्रेणी का अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा तथा उत्पन्न खराबी के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। 8-डीजल वाहन प्रायः 12 घण्टे से 14 घण्टे तक प्रतिदिन प्रयुक्त होगी, किन्तु उसे आवश्यकतानुसार 24 घण्टे भी प्रयुक्त किया जा सकता है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। 9-वाहन मालिक/चालक के कारण डीजल जीप अनुपलब्ध होने पर उस दिन का दोगुना किराया बीजक में से काट लिया जायेगा। अनुबन्ध अवधि में यदि किसी अनियमितता के कारण यदि कार्य बाधित होता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। 10-गाड़ी अच्छी दशा में अनुरक्षित होनी चाहिए तथा चालक के पास वाहन चालक का एक वर्ग से अधिक की अवधि का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। 11-वाहन आर०टी०ओ० कार्यालय द्वारा व्यापारिक प्रयोग हेतु अनुमति (कामर्शियल पंजीकरण) आवश्यक है।

**“सूट्र हित में ऊर्ज बचाएँ
बल्ब की जगह एल०ई०डी० लगाएँ”।**

**अधीक्षण अभियन्ता
वि०वि०मं०, बहराइच**